(क) क्या केन्द्र सरकार ने 1985 की असम संधि को प्रभावी तरीके से अक्षरश: कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो बांग्लादेश से घुसपैठ को किस सीमा तक रोका जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

**(क) : असम समझौते के विभिन्न खंडो को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई की गई है। समझौते के कुछ खंड निरन्तर प्रकृति के हैं जैसे असम के लोगों के लिए सुरक्षोपाय, असम के आर्थिक विकास के लिए उपाय तथा घुसपैठ को रोकना इत्यादि और, इसलिए इसकी निरन्तर निगरानी की आवश्यकता है। सरकार असम समझौते को अक्षरश: कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है।**

**(ख) से (ग) : अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार ने सीमा सुरक्षा बल को सुदृढ़ करने तथा उन्हें आधुनिक उपकरणों से लैस करने, भारत-बांग्लादेश पर सीमा चौकियों के बीच की दूरियों को कम करने तथा गश्त बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। बांग्लादेश सीमा पर सीमावर्ती बाड़ को सुदृढ़ किया जा रहा है तथा सीमा पर तेज रोशनी की एक योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों का मुद्दा विभिन्न मंचों पर नियमित रुप से उठाया जाता है तथा समन्वित गश्त लगाने संवेदनशील अन्तरालों को चिन्हित करने, नदीय गश्त को सुदृढ़ करने इत्यादि के लिए कदम उठाए गये हैं। बांग्लादेश सरकार से भारत में उसके राष्ट्रिकों की, विशेषकर संवेदनशील तथा नदीय क्षेत्रों के माध्यम से, अवैध आवाजाही को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया गया है। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा बाड़ लगाने से बांग्लादेश से भारत में अवैध प्रवास को प्रभावी रुप से रोकने में सहायता मिली है। बांग्लादेशी राष्ट्रिकों सहित अवैध रुप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों की पहचान तथा उनके निर्वासन की शक्तियाँ विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2)(ग) के तहत राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्र प्रशासनों को प्रत्‍यायोजित की गई हैं। असम राज्य में विदेशियों/अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए अगस्त, 2009 में स्वीकृत अतिरिक्त चार (4) विदेशी विषयक अधिकरणों सहित छत्तीस (36) विदेशी विषयक अधिकरण स्थापित किए गए हैं।**

**असम समझौते के खंडवार कार्यान्वयन की स्थिति खंड 5- विदेशी मुद्दा:**

1. **नागरिकता अधिनियम, 1955, नागरिकता नियम, 1956 तथा विदेशी विषयक अधिकरण आदेश, 1664 में संशोधन किया गया था।**
2. **दिनांक 1.1.1966 से 24.03.1971 के बीच असम में प्रवेश करने वाले विदेशियों के रुप में पता लगाए गए व्यक्तियों के पंजीकरण हेतु विशेष पंजीकरण अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।**
3. **विदेशियों/अवैध प्रवासियों की पहचान एवं निर्वासन करने तथा सुरक्षा की दूसरी पंक्ति के रुप में कार्य करने में राज्य सरकार तथा सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ) की सहायता के लिए विदेशियों की घुसपैठ को रोकने (पी आई एफ) की योजना के तहत 1280 अतिरिक्त चौकियों सहित कुल 3153 चौकियां स्वीकृत की गईं।**
4. **अवैध प्रवासियों/विदेशियों का पता लगाने के लिए विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 के प्रावधानों के तहत असम राज्य में छत्तीस विदेशी विषयक अधिकरणों का गठन किया गया है।**

**खंड 6 एवं 7 – सुरक्षा उपाय तथा अर्थिक विकास:**

1. **श्रीमंत शंकरदेवा कला क्षेत्र काम्पलैक्स नामक सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना की गई है।**
2. **गुवाहाटी में श्री ज्योति चित्रबन (फिल्म) स्टूडियों का आधुनिकीकरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2006-07 में संस्थान के और विस्तार/ आधुनिकीकरण हेतु 10 करोड़ रुपये और स्वीकृत किए गए हैं।**
3. **नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को अद्यतन बनाने तथा असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन से संबंधित मामले को निपटाने के लिए असम सरकार ने जुलाई, 2011 में मंत्रिमंडल उप-समिति का गठन किया है।**
4. **लगभग 2,500 करोड़ रुपये की लागत से नुमालीगढ़ रिफाइनरी की स्थापना की गई थी**
5. **दो केन्द्रीय विश्‍व विद्यालय, एक तेजपुर तथा दूसरा सिलचर में स्थापित किए गए हैं।**
6. **गुवाहाटी में एक आई आई टी की स्थापना की गई है।**
7. **कथलगुड़ी पावर प्रोजेक्ट (60मेगावाट) चालू किया गया है।**
8. **असम गैस क्रैकर प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन का कार्य तथा बोगीबील रेल-सह-सड़क प्रोजेक्ट शुरु किया गया है।**
9. **अशोक कागज कारखाने के पुनरुद्वार के लिए कार्रवाई की गई है।**

**खंड 8 से 14- अन्य मुद्दे:**

1. **नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति अब केवल केन्द्र सरकार के पास है।**
2. **भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्वीकृत 3359 किमी. बाड़ में से 2724.06 किमी. बाड़ का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 160 किमी. के टुकड़े में बाड़ निर्माण का कार्य प्रगति पर है। सीमा पर निर्मित की जाने वाली 4407.39 किमी. सड़क में से, 3548.93 किमी. सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 216 किमी. सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है।**
3. **आन्दोलन के दौरान मारे गए व्यक्तियों के नजदीकी रिश्तेदारों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया था।**
4. **आन्दोलन के संबंध में कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक मामलों की समीक्षा की गई।**
5. **भर्ती के मामले में दिनांक 1.1.1980 से 15.8.1985 की अवधि के दौरान असम राज्य में सामान्य रुप से रह चुके उम्मीदवारों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 6 वर्ष तक की छूट के आदेश केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए थे।**
6. **आन्दोलन के संबंध में पकड़े गए एन एस ए कैदियों को रिहा किया गया था ।**